क्रम-संख्या –207

रजिस्ट्रेशन नं०–जी०–11/लाई०–

न्यूज पेपर/91/05–06

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2007

श्रावण 12, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1440/79-वि-1–07-1(क)27-2007

लखनऊ, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की जिसे एतद् पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "छह वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(6) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे और उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने वाले सदस्य उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को पदधारण करने से प्रविरत हो जायेंगे।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2007

3–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि प्रत्येक सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और कोई भी सदस्य दो लगातार अवधि से अधिक के लिये बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। अध्यापकों के चयन में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि बोर्ड के सदस्यों, जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित है, की पदावधि छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष किये जाने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No.1440/LXXIX-V-1-07-1(ka)27-2007
Dated Lucknow, August 3, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2007 :

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 22 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY, enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2007 Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act,— Amendment of section 5 of U.P. Act no. 5 of 1982

(a) in sub-section (1) *for* the words "six years" the words "two years" shall be *substituted*;

(b) for sub-section (6) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(6) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2007 shall apply also to every member holding office immediately before the commencement of the said Act and the members who have completed two years term of office before the commencement of the said Act, shall cease to hold office on the date of commencement of the said Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board, 1982 (U.P. Act no. ~~no~~5 of 1982) provided *inter alia* that every member shall hold office for a term of six years and no ~~men~~ member shall be a member of the Board for more that two consecutive terms. With a view to ensuring ~~spe~~ speedy selection of teachers it was descided to amend the said Act to reduce the term of office of the ~~memb~~ members including the Chairman of the Board from six years to two years.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection ~~Boa~~ Board (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 8 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 200

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By Order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 335 राजपत्र–(907)–2007–597 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 183 सा० विधा०–(908)–2007–850 प्रतियाँ–(कम्प्यूटर/आफसेट)।